F.No. N-11011(iii)/1/2016-FD
Government of India
Ministry of PanchayatiRaj
(Fiscal Decentralization Division)

11th Floor, Jeevan Prakash Building,
K.G. Marg, New Delhi-110001
20th June, 2016

To
The Principal Secretary/Secretary,
Panchayat Raj Departments,
All State Governments *(as per list attached)*

Subject: Display of details of works/activities undertaken by Gram Panchayats for information of the public & beneficiaries

Sir/Madam,

To bring in "transparency and accountability" on the part of Gram Panchayats (GPs) utilizing public funds, it is necessary that receipts of all the funds available and expenditure incurred by the Gram Panchayats is made public. In the case of the Fourteenth Finance Commission grants also, the guidelines issued by the Ministry of Finance dated 8.10.15 *inter alia* lay down that the local bodies should incur all expenditure on providing basic services after proper plans are prepared by GPs in accordance with the relevant rules, regulations processes and procedures applicable in the State.

2 To support the GPs in the preparation of plans of various works/activities to be executed utilizing the funds under various schemes including the FFC grants, the guidelines issued by the MoPR vide letter No. M-11015/249/2015-DPE dated 4th November, 2015 emphasize on ensuring transparency and accountability through various means which include, "Widespread disclosure of the Resource Envelope at the GP level", "Disclosure of the details of the approved plan and the expected outcomes", "Wall paintings and information boards to be set up in vantage locations in GP" and installation of "Citizen information boards at all worksites".

3 In the light of the above, it is requested that all the State Governments may advise the respective GPs to publicly display on the boards all relevant details, physical and financial, on the works/activities taken up by them along with timelines for completion of all types of works under all the schemes including works utilising the FFC grants for the information and scrutiny of local population and other stakeholders. A copy of the instructions issued in this regard to the Gram Panchayats in the State may also be marked to this Ministry for record.

Yours Faithfully,

20/6/16

(S.K.Patjoshi)
Joint Secretary to Govt of India
Ministry of Panchayati Raj

Encl: Sample Template of Display Board

Er. SANJEEB PATJOSHI, IPS
Joint Secretary to Government of India
Ministry of Panchayati Raj
11th Floor, Jeevan Prakash Building,
25, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001
Ph.: 011-23753819

APPROPRIATE SIZE (5FtX4Ft) PAINED BOARD ON STEEL/ALUMINIUM SHEET WITH IRON FRAME LOCATED AT CETNRAL JUCTION IN GRAM PANCHAYAT

(YELLOW BACKGROUND & RED LETTERS)

FORMAT FOR DISPLAY OF DETAILS OF WORKS/ACTIVITIES UNDERTAKEN BY GRAM PANCHAYATS

Name of Village: _____ Gram Panchayat: _____

Block:_____ Financial Year:_____

Sl.No.	Name of Works/ Activity	Name of Scheme	Start Date	Completion Date	Value of Work/Activity (Rs.)

फा.सं. एन 11011(iii) /1/2016-एफडी
भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
(राजकोषीय हस्तांतरण प्रभाग)

11वां तल, जीवन पकाश भवन,
के जी मार्ग, नई दिल्ली 110001
दिनांक 20 जून, मई, 2016,

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव
पंचायती राज विभाग
सभी राज्य सरकारें (संलग्न सूची के अनुसार)

विषय:- ग्राम पंचायतों द्वारा लोगों एवं लाभार्थियों के सूचनार्थ शुरू किए गए कार्यों/गतिविधियों के विवरणों का प्रदर्शन।

प्रिय महोदय/महोदया,

निधियों का उपयोग करते हुए ग्राम पंचायतों (जीपीज़) की ओर से 'पारदर्शिता एवं जबावदेही' लाने हेतु यह आवश्यक है कि सभी उपलब्ध निधियों की रसीदें तथा ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए व्यय को सार्वजनिक किया जाना आवश्यक है। चौदहवें वित्त आयोग अनुदान के मामले में भी वित्त मंत्रालय के दिनांक 8/10/2105 को जारी दिशानिर्देशों के साथ-साथ निर्धारित किया कि स्थानीय निकायों को राज्यों में लागू संगत नियमों, विनियम प्रक्रियाओं तथा प्रणालियों के अनुसार ग्राम पंचायतों द्वारा उपयुक्त योजनाओं को तैयार करने के पश्चात मूलभूत सेवाएं उपलब्ध कराने पर सभी व्यय किए जाने चाहिए।

2. चौदहवें वित्त आयोग अनुदानों सहित विभिन्न योजनाओं के तहत निधियों का उपयोग करते हुए विभिन्न कार्यों/गतिविधियों के निष्पादन की योजनाओं को तैयार करने में ग्राम पंचायतों को मदद करने हेतु पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पत्र दिनांक 4 नवंबर, 2015 सं. एम-11015/249/2015 -डीपीई, को जारी दिशानिर्देश विभिन्न साधनों के माध्यम से पारदर्शिता एवं जवावदेही को सुनिश्चित करने पर जोर देता है, जिसमें "जीपी स्तर पर संसाधन एनवेलप का व्यापक विस्तार", "अनुमोदित योजनाओं एवं प्रत्याशित परिणामों के विवरणों का प्रकटन " ग्राम पंचायतों में बेहतर स्थानों में वाल पेंटिग एवं सूचना बोर्ड लगाना" तथा "सभी कार्य स्थलों पर नागरिक सूचना" स्थापित करना शामिल है।

3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह अनुरोध किया जाता है कि सभी राज्य सरकारें अपने-अपने ग्राम पंचायतों को सलाह दें कि वे सभी संगत विवरण, वास्तविक एवं वित्तीय, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों/गतिविधियों पर स्थानीय आबादी की संवीक्षा तथा अन्य लाभार्थियों की सूचना के लिए चौदहवें वित्त आयोग अनुदानों के कार्यों का उपयोग करने सहित सभी योजनाओं के तहत सभी प्रकार के कार्यों के समापन समयावधि को सार्वजनिक रूप से सूचना पटल पर (बोर्डों पर) प्रदर्शित किया जाए। इस बारे में राज्यों में ग्राम पंचायतों को जारी अनुदेश की एक प्रति मंत्रालय के भी रिकार्ड हेतु भेजी जाए।

भवदीय

20/6/16

(एस के पटजोशी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय

संजीव पटजोशी/Er. SANJEEB PATJOSHI, IPS
संयुक्त सचिव/Joint Secretary
पंचायती राज मंत्रालय/M/o Panchayati Raj
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi-110001

संलग्न - डिस्पले बोर्ड का सैम्पल टेम्पलेट।

उपयुक्त आकार (5 फीट x 4 फीट) के चित्रित बोर्ड स्टील / एल्यूमिनियम शीट पर लोहा फ्रेम के साथ
ग्राम पंचायत के केन्द्रीय जंक्शन पर स्थित
(पीले रंग की पृष्ठभूमि तथा लाल रंग के अक्षर)

ग्राम पंचायतों द्वारा शुरू किए गए कार्यों/गतिविधियों के विवरणों के प्रदर्शन हेतु प्रपत्र

गांव का नाम _____ ग्राम पंचायत_____

ब्लॉक_____ वित्तीय वर्ष _____

क्र.सं.	शुरू किए जा रहे कार्य /गतिविधि का नाम	जिसके तहत योजना शामिल है	कार्य/गतिविधि शुरू करने की तिथि	कार्य/गतिविधि की समापन की तिथि	कार्य का कुल मूल्य